भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-176**

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

**6 से 14 वर्ष की आयु के बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे**

†176. **श्री के.राधाकृष्णन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 6-14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वर्तमान बजट में विद्यालय न जाने वाले बच्चों को विद्यालय में वापस लाने के लिए कोई विशेष योजना शामिल है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) और (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। समग्र शिक्षा योजना के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर वार्षिक योजनाएँ तैयार की जाती हैं तथा यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्लयूपीएंडबी) प्रस्तावों में परिलक्षित होती हैं। एडब्लयूपीएंडबी प्रस्तावों के मूल्यांकन के दौरान, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया जाता है कि वे स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) की पहचान के उद्देश्य से वार्षिक घरेलू सर्वेक्षण करें। इसमें ड्रॉपआउट बच्चे और कभी नामांकित न हुए बच्चे शामिल हैं। पहचाने गए ओओएससी को स्कूल में वापस लाया जाता है और उनकी सीखने की कमियों का मूल्यांकन किया जाता है।

इस विभाग ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहचाने गए स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) के आंकड़ों को संकलित करने तथा उन्हें विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) के साथ प्रबंध पोर्टल पर मैप करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी विकसित किया है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ओओएससी को मुख्यधारा में लाने की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य के संबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्र द्वारा अपलोड की गई पहचान किए गए ओओएससी और

एसटीसी की बाल-वार जानकारी को मान्य करता है। पिछले तीन वर्षों में प्राथमिक स्तर पर बच्चों की ड्रॉप आउट दर इस प्रकार है:

| वर्ष | प्राथमिक (1 से 5) | उच्च प्राथमिक (6 से 8) |
|---|---|---|
| 2021-22 | 1.5 | 3 |
| 2022-23 | 7.8 | 8.1 |
| 2023-24 | 1.9 | 5.2 |

(ग): समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 16 से 19 वर्ष की आयु के स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए एससी, एसटी और दिव्यांग बच्चों को एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से अपने माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर को पूरा करने के लिए प्रति कक्षा प्रति बच्चे 2000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए आयु के अनुसार विशेष प्रशिक्षण तथा बड़े बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन/अनुरक्षण सुविधा भी स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा में लाने के लिए निम्नानुसार समर्थित हैं:

- गैर-आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए प्रति बच्चा प्रति वर्ष ₹ 6,000/- तक।
- आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए प्रति बच्चा प्रति वर्ष ₹ 20,000/- तक।

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) के संबंध में आंकड़े निम्नानुसार हैं:

*(आंकड़े लाख में)*

| 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| वास्तविक | वित्तीय | वास्तविक | वित्तीय | वास्तविक | वित्तीय |
| 770374 | 42346.92 | 732291 | 32001.315 | 857900 | 44716.284 |

*स्रोत: प्रबंध पोर्टल*

******